

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-141

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

*141. श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार गांवों में किए गए विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विद्युत की आकलित आवश्यकता का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में उपलब्ध विद्युत की मात्रा कितनी है; और

(ग) विद्युत के पारेषण तथा वितरण के दौरान विद्युत की मात्रा तथा राजस्व की हानि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए तत्संबंधी आकलन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 141 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत 3 वर्षों अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान 14,528 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 19वीं इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, अपेक्षित क्षमता का अनुमान 1,76,897 मेगावाट लगाया गया है जबकि 30.11.2017 की स्थिति के अनुसार देश में संस्थापित क्षमता 330.0 गीगावाट है।

(ग) : कुछ पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) हानियां प्रणाली में अंतर्निहित हैं। इन्हें तकनीकी हानियां कहा जाता है। अध्ययन के अनुसार तकनीकी हानियां लगभग 2.62 प्रतिशत से 7.71 प्रतिशत की रेंज में हैं। अतिरिक्त हानियां चोरी के कारण हैं। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2015-16 के लिए टीएंडडी में ऊर्जा हानि 2,40,864.31 मिलियन यूनिट (21.81%) थी। अनुमानों के अनुसार, टीएंडडी हानियों में 1 प्रतिशत की कमी से विद्युत की खरीद लागत की दृष्टि से 4146.60 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत जनगणना गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17
1	अरुणाचल प्रदेश	107	174	175
2	असम	190	942	1218
3	बिहार	341	1754	556
4	छत्तीसगढ़	67	405	294
5	हिमाचल प्रदेश	6	1	27
6	जम्मू व कश्मीर	9	27	5
7	झारखंड	161	750	1104
8	कर्नाटक	0	0	14
9	मध्य प्रदेश	86	214	159
10	मणिपुर	192	75	121
11	मेघालय	43	1	681
12	मिजोरम	47	16	24
13	नागालैंड	10	0	76
14	ओडिशा	13	1264	1092
15	राजस्थान	70	163	263
16	त्रिपुरा	0	9	17
17	उत्तर प्रदेश	59	1305	162
18	उत्तराखंड	4	0	18
19	पश्चिम बंगाल	0	8	9
	कुल	1405	7108	6015

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1613

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण

1613. श्री ए. अनवर राजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार 800 मेगावाट के अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण करने की प्रक्रिया में है जो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित किये गये स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर चलेगा;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है और ताप विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन के कब तक शुरू होने की संभावना है; और
- (घ) क्या इस प्रस्तावित विद्युत संयंत्र का निर्माण करने के लिए कोई स्थान चिह्नित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए बजट अनुमान कितना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), एनटीपीसी लिमिटेड और इंदिरा गांधी सेन्टर फॉर एटोमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) द्वारा थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूससी) प्रौद्योगिकी के रूप में विकास के लिए मिशन मोड में संयुक्त रूप से देश में स्वदेशी अनुसंधान किया जा रहा है, जिसे ढाई वर्षों की समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। इस आरण्डडी परियोजना में वर्तमान की सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी की तुलना में कोयला खपत, तथा कार्बन-डाय-ऑक्साइड निकासी दोनों में लगभग 11% की कमी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के आर एण्ड डी चरण में भेल से 270 करोड़ रूपए, एनटीपीसी में 50 करोड़ रूपए, आईजीसीएआर से 234 करोड़ रूपए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से 100 करोड़ रूपए के अंशदान के साथ 1554 करोड़ रूपए का अनुमानित परिव्यय शामिल है। आरण्डडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2017-2018 से शुरू करते ही तीन वर्षों में सकल बजटीय सहायता के रूप में भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा 900 करोड़ रूपए की शेष राशि भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा प्रदान की जा रही है। इस परियोजना के आरण्डडी चरण के उपरांत, आरण्डडी परियोजना के पूरा होने के पश्चात, साढ़े चार वर्षों की अवधि के भीतर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रौद्योगिकी के साथ 800 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र के डेमन्स्ट्रेशन परियोजना होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1629

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है।

बिजली की सोर्सिंग हेतु उपभोक्ताओं के लिए ऐप

1629. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने एक ऐसा ऐप शुरू किया है जो उपभोक्ताओं को बिजली की सोर्सिंग संबंधी और अधिक पारदर्शी डाटा प्रदान करेगा और एक ऐसा पोर्टल भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य राज्यों को बिजली खरीदने के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का चयन करने के लिए ई-नीलामी का समाधान भी प्रदान करना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऐप और वेब पोर्टल के परिणामस्वरूप कोयले का इष्टतम उपयोग होगा जिससे अगले पांच वर्षों में ग्राहकों के लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्य वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत के प्रापण में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने तथा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें विद्युत के प्रापण के लिए मोबाइल एप्लीकेशनों तथा वेब पोर्टल का विकास शामिल है।

- i. अल्पावधि तथा मध्यावधि विद्युत प्रापण की आवश्यकताओं की ई-बोली तथा आईपीपी स्टेशनों में कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने के लिए ई-बिडिंग तथा ई-रिवर्स ऑक्शन के लिए वेब पोर्टल अर्थात् "दीप (दक्ष विद्युत कीमत का पता लगाने)" की शुरुआत की गई थी। इस वेब पोर्टल के माध्यम से कोयले का इष्टतम रूप से प्रयोग किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों के विद्युत की लागत में भी कमी आएगी।
- ii. "विद्युत प्रवाह" मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत, जिसमें पावर एक्सचेंज में पता लगाई गई विद्युत की कीमत से संबंधित आंकड़े, वास्तविक समय में विगत दिवस/वर्ष के साथ पूरी की गई मांग तथा मांग के तुलनात्मक आंकड़ों की व्यवस्था है।
- iii. 'मेरिट' नामक वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है (आय और पारदर्शिता के पुनरुद्धार के लिए विद्युत का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच), जो राज्य (राज्यों) द्वारा खरीद की गई विद्युत के मेरिट ऑर्डर के संबंध में जानकारी का व्यापक प्रदर्शन करता है।

इन वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशनों में विद्युत के स्रोतवार क्रय कोयले के इष्टतम उपयोग के माध्यम से प्रचालन में मितव्ययिता और दक्षता में सहायता तथा पारदर्शी रूप से विद्युत की कीमतों का पता लगाने संबंधी जानकारियों की व्यवस्था है। ये डिस्कॉमों को अपने विद्युत क्रय पोर्टफोलियो को इष्टतम बनाने तथा विद्युत क्रय की लागत कम करने के लिए प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1633

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तक पहुंच

1633. श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन ग्रामीण घरों की संख्या कितनी है जिनकी विद्युत तक पहुंच है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का आधारभूत ढांचा अपर्याप्त है जैसे कि, ऐसे ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं जिनकी अर्थिंग समुचित नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गांवों के निरीक्षण करने और इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : 2011 की जनगणना के अनुसार 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.28 करोड़ (55.3%) परिवार लाइटिंग के मुख्य स्रोतों के अनुसार विद्युतीकृत थे। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत अब तक 2.77 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य वितरण विभागों/वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) ने भी उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों को विद्युत कनेक्शन जारी किए हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और अंतःराज्यीय विद्युत अवसंरचना के सृजन का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी का होता है। तथापि, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के माध्यम से ट्रांसफार्मरों की संस्थापना सहित ग्रामीण विद्युतकरण अवसंरचना के सृजन तथा संवर्द्धन में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के अंतर्गत गाँवों/वासस्थलों में सृजित अवसंरचना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता निगरानी तंत्र है और किसी भी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे सुधार के लिए संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भेजा जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1644

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

आयातित कोयले पर निर्भरता

1644. श्री आर. गोपालकृष्णन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कई विद्युत संयंत्र आयातित कोयले पर निर्भर हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इन विद्युत संयंत्रों को आयातित कोयले पर निर्भरता से मुक्त करने और घरेलू रूप से उत्पादित कोयले का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : जी, हाँ। कुछ विद्युत संयंत्र आयातित कोयले पर चलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इस प्रकार उन्हें घरेलू कोयले पर चलाने में तकनीकी कठिनाइयां हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ विद्युत संयंत्र घरेलू कोयले के साथ ब्लेंडिंग के लिए आयातित कोयले का प्रयोग करते हैं।

कोयला मंत्रालय ने मई, 2017 में विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला लिंकेज नीति - 2017 शक्ति पॉलिसी जारी की है। इस नीति के खण्ड ख (vii) के तहत उपभोक्ताओं को लागत बचत के पूरी तरह से पास थ्रू सहित आयातित कोयले पर आधारित विद्युत क्रय करारों (पीपीए) वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए बोली प्रक्रिया के जरिए कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए एक प्रावधान किया जाए।

इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र की कई परियोजनाओं, जिनकी परिकल्पना आयातित कोयले पर की गई थी और अब घरेलू कोयले का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है, ने घरेलू कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। ये अनुरोध शक्ति पॉलिसी के खण्ड ख (i) के तहत विचाराधीन हैं।

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1644 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र

क्रम सं.	संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	यूटिलिटी
1.	सिक्का टीपीएस	500	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड
2.	ट्रॉम्बे टीपीएस	1250	टाटा पावर
3.	रत्नागिरी	1200	जेएसडब्ल्यू एनर्जी
4.	टोरेगुल्लू	860	जेएसडब्ल्यू एनर्जी
5.	मुंद्रा टीपीएस*	4620	अदानी पावर
6.	उडुपी टीपीएस	1200	अदानी पावर
7.	मुंद्रा यूएमपीपी	4000	कोस्टल गुजरात पावर लि.
8.	सलाया टीपीएस	1200	एस्सार
9.	सिम्हापुरी टीपीएस	600	सिम्हापुरी एनर्जी
10.	थामिनापट्टनम टीपीएस	300	मीनाक्षी एनर्जी
11.	मुतियारा टीपीएस	1200	कोस्टल एनर्जन
12.	आईटीपीसीएल-कुड्डालोर	1200	आईएल एंड एफएस

(*: 4620 मेगावाट में से 1980 मेगावाट 70:30 ब्लेंडिंग अनुपात पर डिजाइन की गई है)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1654

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

सल्फर डायोक्साइड उत्सर्जन सीमाओं संबंधी मानदंड

1654. श्री राज मोहन नायडू किंजरापु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार कोयला चालित विद्युत संयंत्रों में सल्फर डायोक्साइड उत्सर्जन संबंधी नवीन मापदंडों को कार्यान्वित करने हेतु कोई कदम उठा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) क्या सरकार फ्लू गैस डीसल्फ्युराइजेशन प्रणालियों की स्थापना हेतु जिन संयंत्रों के पास स्थान का अभाव है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में अबाधित विद्युत आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) तथा अन्य उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण संस्थापित करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की गई थी तथा 30.06.2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) को भेजी गई थी। एमओईएफएंडसीसी के साथ विचार-विमर्श के आधार पर 1,61,402 मेगावाट (414 यूनिट) की क्षमता के लिए संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन संस्थापित करने तथा 64,525 मेगावाट (222 यूनिट) की क्षमता के लिए संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीपिटेटर का अपग्रेडेशन करने के लिए एक संशोधित चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2022 से पूर्व कार्यान्वित किए जाने हेतु) पणधारकों के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई थी और 13.10.2017 को एमओईएफएंडसीसी को भेजी गई थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना के अनुसार, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ताप विद्युत संयंत्रों को 11.12.2017 को निर्देश जारी किए हैं।

(ग) : सीपीसीबी ने सूचित किया है कि ऐसे संयंत्र, जिनके पास एफजीडी सिस्टम स्थापित करने के लिए स्थान नहीं है, को नए मानदंडों का अनुपालन करने के लिए ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का पता लगाना है अथवा कम सल्फर वाले कोयले का प्रयोग करना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1661

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत उत्पादन हेतु राज सहायता

1661. श्री देवसिंह चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश में अतिरिक्त 9500 मेगावाट गैस आधारित विद्युत ऊर्जा के उत्पादन (80 प्रतिशत स्तर पर) को उर्वरक क्षेत्र की भांति सहायता प्रदान करने हेतु गुजरात सरकार से गैस आधारित विद्युत उत्पादन में प्रति यूनिट 1.50 रु. की राजसहायता प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो गैस आधारित अधिष्ठापित क्षमता 22962 मेगावाट तथा प्रचालन क्षमता लगभग केवल 6000 मेगावाट होने के कारण, इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;
- (ग) क्या सरकार स्वच्छ ऊर्जा हेतु गैस आधारित बिजली संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अनुपयोगी गैस क्षमता के उपयोग पर गंभीरता से विचार कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्य-योजना बनाई गई है; और
- (ङ) क्या गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों में निवेश हेतु राज्यों/निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कोई राजसहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : गैस आधारित विद्युत सयंत्र द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने, विद्युत का उत्पादन करने तथा इसे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए स्वतंत्र है। इस मुद्दे के संबंध में गुजरात सरकार से 24.01.2017 का एक पत्र प्राप्त हुआ था। गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में निवेश करने के लिए सब्सिडी देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1676

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत की उत्पादन क्षमता

1676. डॉ. किरीट सोमैया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु क्या लक्ष्य एवं समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य हासिल कर लिया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अभी भी मांग एवं आपूर्ति में अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में विद्युत की मांग और इसके उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस अंतर को पूरा करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 88,537 मेगावाट तथा गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उक्त लक्ष्य के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 99,209.47 मेगावाट (लक्ष्य का 112%) तथा गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 32,741 मेगावाट (लक्ष्य का 109%) की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई थी।

इसके अतिरिक्त, 58,384 मेगावाट उत्पादन क्षमता, जिसमें 48,261 मेगावाट थर्मल, 6,823 मेगावाट हाइड्रो तथा 3,300 मेगावाट न्यूक्लियर शामिल है, निर्माण के विभिन्न चरणों में है जिसके 2017-2022 की अवधि के दौरान उपलब्ध होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2021-22 तक गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) और (ङ) : चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2017 से अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति नीचे दी गई है:

ऊर्जा (एमयू) (अप्रैल-अक्टूबर, 2017)				व्यस्ततम (मेगावाट) (अप्रैल-अक्टूबर, 2017)			
ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
		(एमयू)	%			(मेगावाट)	%
722,296	717,050	5,247	0.7	164,066	160,752	3,314	2.0

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि देश में ऊर्जा की दृष्टि से केवल 0.7 प्रतिशत तथा व्यस्ततम घंटों के दौरान 2 प्रतिशत का मामूली मांग-आपूर्ति अंतर है। तथापि, यह मांग-आपूर्ति अंतर सामान्यतः देश में विद्युत उत्पादन क्षमता की अपर्याप्तता की अपेक्षा अन्य घटकों के कारण है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1684

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है।

पारेषण और वितरण हानियां

1684. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत कंपनियों द्वारा पारेषण और वितरण हानियों (टीएंडओ) के कारण राज्यों तथा उपभोक्ताओं पर राज्य-वार कितना वित्तीय बोझ पड़ा है;
- (ख) विद्युत उत्पादन के मानदंडों के अनुसार अनुमानित पारेषण हानियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में विद्युत कंपनियों की कितनी पारेषण हानि हुई है; और
- (घ) पारेषण हानियों को कम करने हेतु सरकार ने क्या नीति बनाई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : उपभोक्ताओं को उत्पादन केंद्रों से विद्युत की पूर्ति करते समय पारेषण और वितरण (टीएंडओ) हानियां कुछ हद तक प्रणाली का निहित भाग होती हैं। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2015-16 के लिए टीएंडओ में ऊर्जा हानि 240864.31 मिलियन यूनिट (21.81 प्रतिशत) है। अनुमानों के अनुसार टीएंडओ हानियों में 1 प्रतिशत कमी से विद्युत खरीद लागत की दृष्टि से 4146.60 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

(ख) : उत्पादन के स्रोत से अंतिम उपभोक्ता को उच्चतर वोल्टेज पर बल्क में पावर का ट्रांसफर करने के लिए पारेषण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पारेषण प्रणाली से जुड़ी हानियां पूर्णतः तकनीकी हानियां होती हैं और ये हस्तांतरित विद्युत की मात्रा पर निर्भर होती हैं। इस प्रकार, इसे विद्युत उत्पादन के मानदंडों से जोड़ा नहीं जा सकता।

(ग) : पारेषण प्रणाली में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) (पावरग्रिड/अन्य आईएसटीएस लाइसेंसी की स्वामित्व वाली) तथा अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली (राज्य पारेषण यूटिलिटी की स्वामित्व वाली) शामिल हैं। अप्रैल, 2014 से मार्च, 2017 के दौरान हुई अंतर-राज्यीय पारेषण हानियों का औसत प्रतिशत 2.3 प्रतिशत से 3.8 प्रतिशत के बीच है।

(घ) : पारेषण प्रणाली विद्युत के उत्पादन और वितरण के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक तैयार करती है। पारेषण प्रणाली की योजना बनाते समय पारेषण हानियों को न्यूनतम रखने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकीय विकल्पों तथा पारेषण के वोल्टेज का अध्ययन किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1698

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है।

कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स

1698. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) में पारा होता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सीएफएल में मौजूद पारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिये खतरनाक है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार की गैर-उपयोज्य सीएफएल को संग्रहीत करने की कोई योजना है; तथा
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ। पारा, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) की कार्यप्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। आईएस 15906 के अनुसार कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) में 3 स्थितियाँ अर्थात् (i) लैम्प में वाष्प (वैपर), (ii) तरल पदार्थ या ऑक्सीजन कंपाउंड के रूप में और (iii) एमेलगम में मौजूद होता है।

(ग) और (घ) : स्वास्थ्य संबंधी जोखिम मुख्यतः ऑर्गेनिक मर्करी के कारण होती है। पारा न्यूरोडिजेनेरेटिव डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव इंपेयरमेंट्स तथा मसल स्केलटेल एबनॉर्मल्टीज सहित क्लीनिकल मैनीफेस्टेसन्स की वाइड रेंज इंड्यूस करने में कैपेबल है।

पर्यावरणीय दृष्टि से पारा प्रदूषक होता है जो पर्यावरण में मौजूद रहता है और यह विभिन्न रूपों में वायु, जल, कणों, मिट्टी तथा बायोटा में संचारित होता है। एटमोस्फेरिक मरकरी का परिवहन माइक्रोऑर्गेनिक के माध्यम से काफी दूरी तक हो सकता है और यह खाद्य चक्र को दूषित कर सकता है।

(ङ) और (च) : कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) 23 मार्च, 2016 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल है। उक्त नियमों में यह अनुबंधित है कि उत्पादकों को ई-कचरे का संग्रह एवं चैनलीकरण सुनिश्चित करना होता है जिसमें अपने स्वयं के उत्पादों के "जीवन का अंत" से उत्पादित कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुसार किसी अन्य ब्रांड के "जीवन का अंत" उत्पादों से उत्पादित कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) शामिल होता है। नियमों में यह भी अनुबंध है कि कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) जैसे लैम्पों, जिनमें रिसाइक्लर नहीं होते हैं, के मामले में चैनलीकरण संग्रह केंद्र से ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल सुविधा (टीएसडीएफ) तक अवश्य किया जाना चाहिए।

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) का कार्यान्वयन किया था जिसके अंतर्गत तापदीप्त लैम्पों को कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) द्वारा बदला गया था। इस कार्यक्रम के घटक में फ्यूज्ड कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैंप्स (सीएफएल) के सुरक्षित निपटान के लिए कदम शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1706

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश में डीडीयूजीजेवाई

1706. श्री राजेश पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 'सभी के लिये 24 घंटे बिजली' मुहैया कराने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के तहत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि अनुमोदित एवं जारी की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/वितरण कंपनियों का होता है। तथापि, भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 घंटे विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करने तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशेष दस्तावेजों की तैयारी हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने "सभी के लिए 24X7 घंटे विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के माध्यम से राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ग) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर), तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, निधियों की समग्र उपलब्धता तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर 6,946.22 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से सभी 75 जिलों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश के लिए 75 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 30.11.2017 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश को 935.98 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के चालू ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अंतर्गत 2014-15 में तथा दिनांक 30.11.2017 तक 5,064.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1727

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है।

असम में डीडीयूजीजेवाई

1727. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) असम में इससे जिले-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं संवर्द्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं को मीटर प्रदान करने और गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। 30.11.2017 की स्थिति के अनुसार डीडीयूजीजेवाई नई परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों की नई मुख्य मर्दे स्वीकृत की गई है। जिनमें 2181 उप-केन्द्रों का संवर्द्धन तथा 1825 उप-केन्द्रों का सृजन, 3,84,553 ट्रांसफार्मरों का वितरण (डीटीआर)। 11 केवी लाइन का 2,64,300 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) (1,56,493.20 सी.के.एम का फीडर पृथक्करण सहित) लो-टैसन (एल टी) लाइन का 1,22,078.66 सी.के.एम, 33 एवं 66 केवी लाइनों का 25,120.20 सी.के.एम उपभोक्ताओं के लिए 1,51,60,243 बिजली के मीटर, डीटीआर के लिए 3,77,120 बिजली मीटर तथा 11 केवी फीडर के लिए 29,287 बिजली मीटर शामिल है।

(ख) : इस क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए डीडीयूजीजेवाई लाभों के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य किया गया। असम राज्य से मिली जानकारी के अनुसार 30.11.2017 तक असम में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के 14.05 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं। जिले-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1727 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

असम में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी किए गए बीपीएल कनेक्शनों की जिले-वार संख्या

क्रम सं.	जिले	बीपीएल कनेक्शन (30.11.2017 की स्थिति के अनुसार)
1	बक्सा	19,389
2	बारपेटा	1,10,869
3	बोंगाईगांव	68,594
4	काचर	50,172
5	चिरांग	9,579
6	दर्रांग	80,652
7	धेमाजी	33,836
8	धुबरी	1,03,643
9	डिब्रूगढ़	18,571
10	दीमा हसाओ	6,382
11	गोलपारा	31,025
12	गोलाघाट	69,034
13	हैलाकंडी	12,233
14	जोरहट	60,529
15	कामरूप	84,622
16	करबी अंगलॉंग	42,527
17	करीमगंज	34,435
18	कोकरीझार	27,000
19	लखीमपुर	52,100
20	मोरीगांव	50,668
21	नगांव	1,42,058
22	नालबाड़ी	95,741
23	शिवसागर	35,207
24	सोनितपुर	70,771
25	तिनसुकिया	93,673
26	उदालगुरी	1,200
	कुल	14,04,510

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1731

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

ईंधन की कमी

1731. श्री राहुल शेवाले:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धोत्रे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विभिन्न राज्यों के विद्युत उत्पादन संयंत्रों/स्टेशनों हेतु ईंधन की कमी/अनुपलब्धता एवं उनके विद्युत उत्पादन पर इसके विपरीत प्रभाव अब भी मौजूद हैं जबकि इस बारे में सरकार ने कई उपाय किये हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है और विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान समूचे देश में विद्युत संयंत्रों/स्टेशनों को आपूर्ति किये गये ईंधन का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऐसे कई विद्युत संयंत्र/स्टेशन हैं जो देश में ईंधन की अधिक लागत की वजह से बंद होने के कगार पर हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ङ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे संयंत्रों/स्टेशनों के अस्तित्व के लिये उन्हें सस्ती दर पर ईंधन अथवा वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) समूचे देश में विद्युत उत्पादन संयंत्रों/स्टेशनों को सस्ती दरों पर ईंधन की समय पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये/उठाए जा रहे अन्य कदम क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों के कारण, विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता में सुधार हुआ है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में समग्र कोयला स्टॉक में दिनांक 19.10.2017 को 7.3 मिलियन टन (एमटी) से दिनांक 25.12.2017 को 12.9 एमटी तक की वृद्धि हुई है।

कोयला स्टॉक में गिरावट, खनन क्षेत्र में वर्षा के मौसम के दौरान होने वाली भारी वर्षा के कारण 2017-2018 की दूसरी तिमाही के दौरान हुई थी, जिससे कोयला उत्पादन, खानों पर लोडिंग और कोयले की

दुलाई पर भी प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त जल विद्युत, पवन और न्यूक्लीयर विद्युत स्टेशन में होने वाले कम उत्पादन के कारण, कोयला आधारित विद्युत स्टेशन से होने वाले उत्पादन को बढ़ाया जाना था। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की प्राप्ति **अनुबंध-1** में है।

विद्युत क्षेत्र के लिए घरेलू गैस की उपलब्धता काफी कम है क्योंकि केजी डी6 क्षेत्र से गैस की उपलब्धता काफी कमी है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (नवम्बर, 2017 तक) के दौरान आवंटित की गई/और आपूर्ति की गई/खपत की गई गैस का ब्यौरा **अनुबंध-11** में है।

(ग) से (ड) : उत्पादन, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार एक लाइसेंसरहित गतिविधि है। विद्युत स्टेशन का प्रचालन डिस्कामों द्वारा मेरिट आदेश प्रेषण के आधार पर किया जाता है, ताकि विद्युत क्रय की समग्र लागत कम हो।

इसके अतिरिक्त, विद्युत स्टेशन के लिए कोयले की लागत कम करने के लिए सरकार ने उन मामलों में "विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन" शुरू किया है, जहां पर राज्य/केन्द्रीय जेनको को अपने स्वयं के विद्युत संयंत्रों में दक्ष और लागत प्रभावी रूप में अपने कोयले के उपयोग तथा अन्य राज्य/केन्द्रीय जेनको विद्युत संयंत्रों को कोयले के हस्तांतरण द्वारा लचीलापन लाना होगा। इससे विद्युत वितरण कंपनियों को सस्ती विद्युत उपलब्ध होगी।

(च) : केन्द्र सरकार ने विद्युत संयंत्रों को सस्ती दरों पर समय से और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) कोयले की उपलब्धता की नियमित रूप से ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोयले की कमी के कारण विद्युत संयंत्र का उत्पादन प्रभावित नहीं हो।
- (ii) घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है।
- (iii) सरकार ने विद्युत संयंत्रों को बिना किसी लिंकेज के कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हारनेसिंग एण्ड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंसी इन इण्डिया- 2017) स्कीम की शुरुआत की है।
- (iv) देश के विभिन्न सेडिमेन्टरी बेसिनों में खोज एवं उत्पादन गतिविधियों के लिए गैस ब्लॉकों का आवंटन करने तथा मार्च, 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एण्ड लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) की तैयारी।
- (v) गहरें जल तथा अत्यन्त गहरे जल वाले क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए स्वतंत्र विपणन नीति।
- (vi) सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाई है। राज्य/केन्द्रीय जेनको को अपने स्वयं के विद्युत संयंत्रों में इष्टतम और लागत प्रभावी तरीके से अपने कोयले के उपयोग करने और सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए अन्य राज्य/केन्द्रीय जेनको विद्युत संयंत्रों को कोयले के हस्तांतरण करते हुए लचीलापन लाना होगा।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1731 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की प्राप्ति

वर्ष	घरेलू प्राप्ति (एमटी)	आयातित प्राप्ति (एमटी)	कुल प्राप्ति (एमटी)
2014-15	450.3	91.2	541.5
2015-16	481.3	80.6	561.9
2016-17	494.9	66.1	561.0
2016-17 (अप्रैल-नवंबर)	312.9	44.7	357.6
2017-18 (अप्रैल-नवंबर)	343.3	38.8	382.1

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1731 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (नवंबर, 2017 तक) के दौरान आबंटित और आपूर्ति/खपत की गई गैस

(आंकड़े एमएमएससीएमडी)

वर्ष	घरेलू गैस आबंटन	दीर्घावधिक आरएलएनजी (आयातित) संविदा	ई-बोली आरएलएनजी आबंटन (वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए)	आपूर्ति/खपत की गई घरेलू गैस	आपूर्ति/खपत की गई आरएलएनजी	आपूर्ति/खपत की गई कुल गैस
2014-15	84.31	5.38	उपलब्ध नहीं	23.61	1.59	25.20
2015-16	87.09	5.38	9.62	21.63	6.63	28.26
2016-17	87.04	5.73	9.57	22.70	6.89	29.59
2017-18 (नवंबर, 17 तक)	87.04	7.43	उपलब्ध नहीं	23.07	8.73	31.80

(एमएमएससीएमडी: मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1746
जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाएं

1746. श्रीमती रेखा वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की विद्युत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनटीपीसी लिमिटेड का देश में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों में ताप, जल और गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं बनाने का विचार है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : देश में प्रचलित एनटीपीसी लिमिटेड की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) : देश में एनटीपीसी द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1746 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू किए गए एनटीपीसी विद्युत स्टेशनों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेशन	स्रोत	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	उत्तर प्रदेश	सिंगरौली	कोयला	2000
2.		रिहंद	कोयला	3000
3.		ऊंचाहार	कोयला	1550
4.		टांडा	कोयला	440
5.		दादरी	कोयला	1820
6.		औरैया	गैस	663
7.		दादरी	गैस	830
8.		दादरी सोलर	सोलर	5
9.		सिंगरौली सोलर	सोलर	15
10.		ऊंचाहार सोलर	सोलर	10
11.	दिल्ली	बदरपुर	कोयला	705
12.	महाराष्ट्र	मौदा	कोयला	2320
13.		शोलापुर	कोयला	660
14.	छत्तीसगढ़	कोरबा	कोयला	2600
15.		सीपत	कोयला	2980
16.	मध्य प्रदेश	विंध्याचल	कोयला	4760
17.		राजगढ़ सोलर	सोलर	50
18.		मंदसौर सोलर	सोलर	250
19.	तेलंगाना	रामागुंडम	कोयला	2600
20.		रामागुंडम सोलर	सोलर	10
21.	आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री	कोयला	2000
22.		अनंतपुराम् सोलर	सोलर	250
23.	पश्चिम बंगाल	फरक्का	कोयला	2100
24.	असम	बोगाईगांव	कोयला	500
25.	बिहार	कहलगांव	कोयला	2340
26.		बाढ़	कोयला	1320
27.	ओडिशा	तालचर कनीहा	कोयला	3000
28.		तालचर थर्मल	कोयला	460
29.		तालचर सोलर	सोलर	10
30.	हिमाचल प्रदेश	कोलडैम	हाइड्रो	800
31.	हरियाणा	फरीदाबाद	गैस	432
32.		फरीदाबाद सोलर	सोलर	5
33.	गुजरात	कवास	गैस	656
34.		गांधार	गैस	657
35.		रोजमल	पवन	50
36.	केरल	राजीव गांधी कंबाईंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	नाफथा	360
37.	कर्नाटक	कुडगी	कोयला	1600
38.	अंडमान व निकोबार	अंडमान व निकोबार सोलर	सोलर	5
39.	राजस्थान	अंता	गैस	419
40.		भदला सोलर	सोलर	260

संयुक्त उद्यम/सब्सिडियरी

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन	स्रोत	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	बिहार	मुजफ्फरपुर-केबीयूएनएल	कोयला	610
2.	बिहार	नबीनगर-बीआरबीसीएल	कोयला	500
3.	छत्तीसगढ़	भिलाई-एनएसपीसीएल	कोयला	574
4.	हरियाणा	झज्जर-एपीसीपीएल	कोयला	1500
5.	ओडिशा	राउरकेला-एनएसपीसीएल	कोयला	120
6.	तमिलनाडु	वल्लूर-1-एनटीईसीएल	कोयला	1500
7.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर-एनएसपीसीएल	कोयला	120
8.	महाराष्ट्र	आरजीपीपीएल	गैस	1967

केबीयूएनएल : कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, एनएसपीसीएल : एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एपीसीपीएल : अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आरजीपीपीएल : रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, एनटीईसीएल : एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड, बीआरबीसीएल : भारत रेल बिजली कं. लि.

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	स्रोत	क्षमता (मेगावाट)
एनटीपीसी के स्वामित्व वाली परियोजनाएं				
1.	असम	बोंगाईगांव	कोयला	250
2.	बिहार	बाढ़-I	कोयला	1980
3.	छत्तीसगढ़	लारा-I	कोयला	1600
4.	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा	कोयला	1980
5.	मध्य प्रदेश	खारगोन	कोयला	1320
6.	कर्नाटक	कुडगी	कोयला	800
7.	मध्य प्रदेश	गदरवारा-I	कोयला	1600
8.	महाराष्ट्र	शोलापुर	कोयला	660
9.	ओडिशा	दार्लीपल्ली-I	कोयला	1600
10.	उत्तर प्रदेश	टांडा-II	कोयला	1320
11.	उत्तर प्रदेश	सिंगरौली सीडब्ल्यू डिस्चार्ज	हाइड्रो	8
12.	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगाड	हाइड्रो	520
13.	उत्तराखंड	लता तपोवन	हाइड्रो	171
14.	पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	हाइड्रो	120
15.	तेलंगाना	तेलंगाना	कोयला	1600
सब्सिडियरी/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं				
16.	बिहार	नबीनगर, बीआरबीसीएल	कोयला	500
17.	बिहार	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल	कोयला	1980
18.	उत्तर प्रदेश	मेजा, एमयूएनपीएल	कोयला	1320
19.	ओडिशा	राउरकेला पीपी-II	कोयला	250
20.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर प्रोजेक्ट-III	कोयला	40

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1755

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

'उदय' के अंतर्गत सुधार

1755. श्री कलिकेश एन. सिंह देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 'उदय' योजना राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के आर्थिक नुकसान को कम करने में सफल रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) भागीदार विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एटीएंडसी हानियों को कम करने और तिमाही प्रशुल्क में संशोधन सहित किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या भागीदार विद्युत वितरण कंपनियां अब अपनी आरपीओ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठा रही हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के भागीदार राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उदय राज्यों की वित्तीय हानियां वित्तीय वर्ष 2016 में 51589.51 करोड़ रुपए से घटकर वित्तीय वर्ष 2017 में 34826.87 करोड़ रुपए हो गई हैं।

(ग) : राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, भागीदार राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2017 में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में 1 प्रतिशत और आपूर्ति की औसत लागत एवं प्राप्त औसत राजस्व के बीच अंतर में 0.17 रुपए का सुधार हासिल किया है। प्रशुल्क, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा कई प्राचल, जिनमें ऋण की लागतें, विद्युत क्रय लागतें, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागतें, पूंजीगत व्यय आदि शामिल हैं, पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों ने वर्ष 2017-18 में प्रशुल्क में वृद्धि की है।

(घ) और (ङ) : राज्य अपनी नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं (आरपीओ) को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का प्रापण करने के लिए नियमित रूप से बोलियां आमंत्रित कर रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) ने आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रावधान लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने जुलाई, 2016 में विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार आरपीओ ट्रेजेक्टरी एलाइन की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1758

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

बिजली वितरण कंपनियों की लेखापरीक्षा

1758. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार हर छह महीने के बाद विद्युत वितरण कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार का भविष्य में प्रत्येक छह महीने के बाद ऐसे लेखा परीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी करने से विद्युत कंपनियों को रोकने के लिए किसी प्रभावी योजना का प्रस्ताव किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, नहीं। चूंकि खुदरा स्तर पर विद्युत का वितरण राज्य सरकारों के डोमेन में आता है इसलिए केंद्र सरकार डिस्कॉमों की कोई लेखा परीक्षा नहीं कराती है। तथापि, चूंकि वितरण कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आती हैं इसलिए वे सांविधिक लेखा परीक्षकों के माध्यम से अपने लेखों की लेखा परीक्षा कराती हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 में भी डिस्कॉमों को लाइसेंस देते समय किसी सामान्य या विशिष्ट स्थितियों को विनिर्दिष्ट करने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम की धारा 86 के अनुसार, राज्य आयोग प्रशुल्कों के निर्धारण के अपने कार्य का निर्वहन करते समय धारा 3 के अंतर्गत प्रकाशित प्रशुल्क नीति द्वारा मार्गदर्शित होगा। प्रशुल्क नीति के पैरा 8.2.1 के उप पैरा (2) का प्रावधान कहता है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) लाइसेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय और तकनीकी आंकड़ों की स्वतंत्र संवीक्षा प्रणाली स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अपने कार्यों के निर्वहन करने के लिए धारा 181 के अंतर्गत किसी विनियम को बनाने की ओवरचार्जिंग पावर है।

ये सभी प्रावधान यदि आवश्यक हो तो राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को स्वतंत्र लेखा परीक्षा करने की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अंतर्गत राज्य सरकार के पास सार्वजनिक हित वाले नीतिगत मामले में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को निदेश देने की शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र वाले डिस्कॉम सीएंडएजी लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन हैं।

(ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है जिसमें स्मार्ट मीटरों की संस्थापना पर जोर दिया जाता है। स्मार्ट मीटरों से बिलिंग प्रक्रिया के मानवीय छेड़छाड़ दूरी होती है और इस प्रकार बिलिंग की शुद्धता में सुधार आता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1787

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

'उदय' का प्रभाव

1787. कुमारी सुष्मिता देव:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 05 नवंबर 2015 को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित उज्ज्वल डिस्कॉम अस्योरेस योजना (उदय) जिसे विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों के राजस्व में सुधार हेतु क्रांतिकारी बिजली सुधार माना जा रहा था, वस्तुतः उक्त योजना के कारण पिछले कुछ महीनों में कंपनियों की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ग्रामीण विद्युत वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार तथा निगरानी व्यवस्था के पुनरुद्धार की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि इसके कारण एटीएंडसी हानि में बढ़ोत्तरी हो रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा दिनांक 20-11-2015 को शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) के अंतर्गत हस्तक्षेप से ब्याज लागत एवं बिजली की लागत और दक्षता लाभ सहित इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। राज्यों द्वारा प्रस्तुत गैर-लेखा परीक्षा आंकड़ों के अनुसार भागीदार राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2017 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में 1.00% तथा आपूर्ति की औसत लागत तथा प्राप्त औसत राजस्व के बीच 0.17 रुपए प्रति यूनिट का सुधार हासिल किया है।

(ग) और (घ) : यह स्वीकार करते हुए कि हानियों में कमी लाने के लिए फीडर मॉनिटरिंग एक महत्वपूर्ण साधन है, सरकार ने देश भर में ग्रामीण फीडरों की ऑनलाइन निगरानी के लिए 233.03 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1809

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति

1809. श्री बी.एन. चन्द्रप्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक को विद्युत का उत्पादन करने में कोयले की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले की अनुपलब्धता के कारण राज्य के ताप विद्युत संयंत्रों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि कर्नाटक राज्य के पास कोयले की कोई खान नहीं है और इसे आयातित कोयले या अन्य राज्यों के कोयले पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह सच है कि पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोयले की आपूर्ति में अत्यधिक कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वर्ष राज्य के कोयले की आपूर्ति में अत्यधिक कमी आने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि कर्नाटक सहित सभी राज्यों को राज्य के लिए जरूरी विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति की जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति दीर्घकालीन लिंकेज, ई-नीलामी और आयात के जरिए की जाती है। किसी विद्युत संयंत्र को खान आवंटित किए जाने के मामले में संयंत्र कैप्टिव कोयला खान के जरिए भी कोयला प्राप्त करते हैं। कर्नाटक राज्य में कोयला आधारित 3 विद्युत संयंत्र अर्थात् रायचूर टीपीएस (1720 मेगावाट), बेल्लारी टीपीएस (1700 मेगावाट) और येरामारुस टीपीएस (1600 मेगावाट) हैं। बेल्लारी टीपीएस और येरामारुस टीपीएस के पास दीर्घकालीन कोयला लिंकेज नहीं है।

रायचूर विद्युत संयंत्र के संबंध में 2017-18 (13.12.2017 तक) के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से यथा अनुपात वार्षिक संविदागत मात्रा की प्राप्ति क्रमशः लगभग 77% और 100% है। अन्य विद्युत संयंत्रों के लिए ब्रिज लिंकेज के लिए आपूर्ति बेहतर प्रयास आधार पर है।

कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार हुआ है और कोयला कंपनियां सभी विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही हैं। अप्रैल से अक्टूबर, 2017 के दौरान केपीसीएल के सभी विद्युत संयंत्रों को औसत कोयला आपूर्ति 3.26 रैक/दिन (12850 टन प्रति दिन (टीपीडी)) थी तथा यह आपूर्ति नवंबर माह में बढ़कर 4.0 रैक/दिन (16000 टीपीडी) तथा दिसंबर माह में बढ़कर 4.9 रैक/दिन (20000 टीपीडी) हो गई। उपरोक्त आपूर्तियां केपीसीएल के विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में सुधार के लिए आवश्यक हो गई हैं।

(ग) : कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) को छः (6) कोयला खानें आवंटित की गई हैं। कोयला खान/ब्लॉक के नाम बरांज-I, बरांज-II, बरांज-III, बरांज-IV, मनोरा दीप और अंतिम प्रयोग वाले संयंत्र बेल्लारी टीपीएस (2X500 मेगावाट) के साथ किलोनी हैं। ये खानें महाराष्ट्र में स्थित हैं। केपीसीएल ने 2016-17 के दौरान 4.45 लाख टन कोयला आयात किया है। तथापि, 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान केपीसीएल ने कोयले का कोई आयात नहीं किया है।

(घ) : केपीसीएल पावर प्लांट (बेल्लारी टीपीएस और रायचूर टीपीएस) द्वारा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान कोयले की प्राप्ति में 23% की कमी हुई है। खान क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण घरेलू कोयले का उत्पादन खानों पर लोडिंग और कोयले की ढुलाई प्रभावित हुई है।

तथापि, 19.10.2017 के बाद कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों सहित सभी विद्युत केंद्रों में कोयले के स्टॉक में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में विद्युत केंद्रों में कोयले का समग्र स्टॉक 19.10.2017 को 7.3 मिलियन टन से बढ़कर 25.12.2017 को 12.9 मिलियन टन हो गया है।

(ङ) : केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए ताकि राज्य के लिए अपेक्षित विद्युत का उत्पादन करने के लिए कर्नाटक सहित सभी राज्यों को कोयले की आपूर्ति की जा सके:

- i. कोयले की उपलब्धता की नियमित रूप से ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोयले की कमी के कारण विद्युत संयंत्र का उत्पादन प्रभावित नहीं हो।
- ii. राज्य सरकार के अनुरोध पर एससीसीएल से बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) और येरामारुस टीपीएस के लिए ब्रिज लिंगेज की अवधि दो बार बढ़ा दी गई है।
- iii. घरेलू कोयले की उपलब्धता को सुधारने के लिए केंद्रीय/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है।
- iv. सरकार उन विद्युत संयंत्रों, जिनके पास कोयला लिंगेज नहीं है, को कोयला लिंगेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेशन कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया-2017) स्कीम की शुरुआत की है।
- v. सरकार विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाई है। राज्य/केंद्रीय जेनकोस को अपने विद्युत संयंत्रों में इष्टतम और लागत प्रभावी तरीके से अपने कोयले का उपयोग करने और सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए अन्य राज्य/केंद्रीय जेनकोस विद्युत संयंत्रों को कोयले के हस्तांतरण द्वारा लचीलापन होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1810

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

उदय

1810. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

श्री बी.वी. नाईक:

श्री मोहम्मद फैज़ल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) लक्षद्वीप सहित देश में उज्ज्वल विद्युत वितरण कंपनियां आश्वासन योजना (उदय) की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या कई राज्य उदय योजना से जुड़े हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन राज्यों को उदय के अंतर्गत उनकी वितरण क्षति में कमी/गिरावट की अपेक्षा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) उदय योजना के लाभों का फायदा उठाने के लिए शेष राज्यों को भी उदय में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/आवेदन प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत समझौता जापन (एमओयू) पर सभी सत्ताईस (27) राज्यों और चार (04) संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव और पुडुचेरी ने हस्ताक्षर किए हैं। लक्षद्वीप ने उदय में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा दर्शाई है और समझौता जापन (एमओयू) की जांच की जा रही है।

(ग) : राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार उदय राज्यों में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्तीय वर्ष 2016 में 21 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2017 में 20 प्रतिशत रह गई हैं।

(घ) और (ङ) : प्रचालनात्मक दक्षता के लिए यह स्कीम सभी शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खुली है। तथापि, मौद्रिक उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमा के बाहर ऋण की छूट 31.03.2017 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1811

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है।

आयातित उपकरणों की बहु-स्तरीय जाँच

1811. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री धनंजय महाडीक:

डॉ. जे. जयवर्धन:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार घरेलू विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए आयातित उपकरणों की बहु-स्तरीय जाँच हेतु कठोर विनियम बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य हैं;
- (ख) क्या सरकार का विचार एक परीक्षण सुविधा विकसित करने का है जहाँ आयातित उपकरणों की स्थापना से पहले और स्थापना के बाद समय-समय पर मालवेयर का परीक्षण किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का विचार विनियमों में संशोधन करने का भी है ताकि ग्रिड में वास्तविक उपकरण की स्थापना हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इन विनियमों से स्थानीय विनिर्माण में तेजी आएगी; और
- (ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : अपने विनियमों की समीक्षा करने तथा साइबर सिक्योरिटी के बारे में उपयुक्त प्रावधान शामिल करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) में इक्विपमेंट की साइबर सिक्योरिटी जांच के लिए एक पृथक टेस्ट बेड सृजित करने के लिए अवसंरचना का पता लगाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) को कहा गया है।

(घ) और (ङ) : उपर्युक्त उपाय इलेक्ट्रिकल अवसंरचना की साइबर सिक्योरिटी में सुधार करेंगे तथा इक्विपमेंट के साइबर अटैक के जोखिम को कम करेंगे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1817

जिसका उत्तर 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रिक मीटरों को बदलना

1817. श्री मनोज तिवारी:

डॉ. रत्ना डे (नाग):

श्री हरि ओम पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार का निकट भविष्य में विद्यमान इलेक्ट्रिक मीटरों को डिजिटल मीटरों से बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार संबंधित योजनाओं और कार्य करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विनियमों में यह प्रावधान है कि केवल स्टैटिक (इलेक्ट्रॉनिक) मीटर ही लगाए जाएं।

(घ) : भारत सरकार (जीओआई) ने 03 दिसंबर, 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है जिसमें डिजिटल/स्टैटिक मीटरों के संस्थापित करने के लिए वित्तपोषण शामिल है। आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत मीटरों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है। आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का निष्पादन संबंधित राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉमों)/राज्य विद्युत विभागों द्वारा किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्टेटिक/डिजीटल मीटरों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत मात्रा (सं.)	संस्वीकृत राशि (रुपए करोड़)
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	15475	4.7
2	आंध्र प्रदेश	473363	109.3
3	अरुणाचल प्रदेश	18707	9.0
4	असम	58790	23.7
5	बिहार	245714	101.0
6	छत्तीसगढ़	2598	31.1
7	गोवा	159220	29.1
8	गुजरात	705382	155.4
9	हरियाणा	174485	54.9
10	हिमाचल प्रदेश	48467	10.6
11	जम्मू व कश्मीर	134106	29.2
12	झारखंड	134099	65.6
13	कर्नाटक	848565	178.6
14	केरल	524275	62.2
15	मध्य प्रदेश	614801	210.7
16	महाराष्ट्र	631671	83.3
17	मणिपुर	36119	17.7
18	मेघालय	1119	0.4
19	मिजोरम	3862	2.9
20	नागालैंड	42940	16.5
21	ओडिशा	237331	63.5
22	पुडुचेरी	35000	5.9
23	पंजाब	17591	44.2
24	राजस्थान	310549	45.6
25	सिक्किम	9735	8.3
26	तमिलनाडु	2300055	372.4
27	तेलंगाना	210362	60.5
28	त्रिपुरा	28243	28.2
29	उत्तर प्रदेश	307377	119.7
30	उत्तराखंड	29891	7.8
31	पश्चिम बंगाल	643220	169.0
	कुल	9003112	2121.0

लोक सभा में दिनांक 28.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत मीटरों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत मात्रा (सं.)	संस्वीकृत राशि (रुपए करोड़)
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	31317	5.86
2	आंध्र प्रदेश	19897	7.27
3	अरुणाचल प्रदेश	109551	58.20
4	असम	16397	70.44
5	बिहार	958022	141.86
6	छत्तीसगढ़	48979	41.68
7	दादरा व नागर हवेली	3838	1.68
8	गोवा	115276	16.74
9	गुजरात	1268076	193.26
10	हरियाणा	34058	12.63
11	हिमाचल प्रदेश	133091	13.51
12	जम्मू व कश्मीर	405837	96.39
13	झारखंड	620586	317.56
14	कर्नाटक	1780386	444.96
15	केरल	1802702	159.15
16	मध्य प्रदेश	1307358	410.72
17	महाराष्ट्र	-	-
18	मणिपुर	-	-
19	मेघालय	1251	15.24
20	मिजोरम	-	-
21	नागालैंड	805	9.99
22	ओडिशा	1727353	440.93
23	पुडुचेरी	76805	15.05
24	पंजाब	254565	84.83
25	राजस्थान	970126	352.93
26	सिक्किम	57720	7.34
27	तमिलनाडु	1193990	119.66
28	तेलंगाना	1289	5.16
29	त्रिपुरा	165414	36.59
30	उत्तर प्रदेश	904810	294.10
31	उत्तराखंड	67651	43.78
32	पश्चिम बंगाल	1489500	441.22
	कुल	15566650	3858.73
